

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

गृहित पत्र अधिकार सुनिश्चित जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही दिए जाते हैं।
कि जीवाजी अधिकार सुनिश्चित के नाम है।
सम्बन्धित विषय पर कही तूर्ति में यह
दावाकार सुनिश्चित तो पत्र कलापक एवं दिनांक
अवश्य दिए जाएं जिसके दरिया है।



मात्र : जीवाजी
दूरभाष : (0751) 25417896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,

जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक:एप्स/सम्बद्धता/2012/ 5426

दिनांक: 26/11/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से टर्मब्रेक एप्स.वी.आर.टी.एग. कॉलेज आंक एज्युकेशन, ग्वालियर (0751-2568354) जो ज्ञान 2010-11, 2011-12, 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संतुलित बी.एल., एवं राज 2011-12, 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संतुलित एम.ए.ए., पाठ्यक्रम नम्बर/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्वाच्छा सम्बन्धित हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपती गठोदय/रथाची समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर वे विश्वविद्यालय अधिकारियां 1973 के परिवेशम 27(10) के अनुर्ध्वत नियमानुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है।

- (1) प्रो. डॉ.एव. गोस्यानी, आवार्य, कार्यपाल आठवां अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संचोक)
- (0751-2442841)
- (2) प्रो. निवेद जायर, आवार्य, समाजविद्या एवं आजीवन विद्या अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. देख श्रीवास्तव, प्राचार्य, गोस्यानी कॉलेज, ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के गठनकारों ने अनुरोध है कि वे परिवेशम 27/28 के प्रावधानों के अनुसुन्धान ग्रन्थालय का पत्त्या नियमित कर दूजन, भरोहर तारीख, गांधित सौनाइक/अधीक्षिक दस्तावेज, प्राप्तिका तंत्रिका एवं प्राप्त अनुशंसा/अन्वापति प्रमाण-प्रत्र, ग्रन्थ, फोटो परिचय एवं पाठ्यक्रम/आधिकैन्य तथा प्रियते तथा ती नई शास्त्रों की पूर्ण मध्य प्रमाण पत्र के ताता प्राचार्य/कैफियक एवं अधीक्षिक दस्तावेज की विस्तृक्तियों का प्रमाण एवं ग्रन्थ अनुरोध के जारी रखने तथा अनुशंसार्त अनियत करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 दिसंबर 2012 के पर क्रमांक ६० (अ-अ-२) एवं लिये जाए विश्वविद्यालय विरीक्षण समिति द्वारा ३० दिन ग्रन्थालय का विरीक्षण कर १५ दिवस ग्रन्थविद्यालय कार्यालय में विरीक्षण प्रियोरिटेज प्रत्युत किया जाये। विरीक्षण के दूसरी कार्यवाही (महाविद्यालय विरीक्षण की) ४५ दिवस ग्रन्थ ग्रन्थों द्वारा संकेती एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्वाच्छा सम्बन्धित होगा एवं ताता समय सम्बन्धित अस्वाच्छा ग्रन्थों द्वारा संकेती तथा ग्रन्थालय के विवेदों का ग्रन्थ सुनिश्चित विचार जाएगा।

ग्रन्थ के ४५ दिवस ग्रन्थ को जारी की जाए तो यह ग्रन्थ जारीगा विश्वविद्यालय का विरीक्षण वही हुआ है। विश्वविद्यालय अधिकार समाजविद्या कार्यालय की जावेगी। जिसे १५ दिवस में विरीक्षण दियोर्ध प्रस्तुत करना अविवार्य होगा। परिवेशम 27(1)(7) के अनुसार लक्ष्यकारा प्राप्त विवर विवर ध्यानों को प्रयोग देका अपेक्षित है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बन्धित शास्त्रों में कार्यात्मक अधीक्षक कार्यालय दावापक पत्रावली लेकर जावेगे तथा महाविद्यालय की वस्तुताओं से विरीक्षण समिति को अवगत करायेगी। विरीक्षण समिति के सदस्यों जो दी.ए. / मानवेत्य महाविद्यालय द्वारा देव होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. ग्रन्थालय सदस्यों वही और सूचवाये एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय नवी और भ्रेजकर आपत है कि समिति के संगोचक से संपर्क ब्यापित कर विरीक्षण दियोर्ध विषमिता कर महाविद्यालय का विरीक्षण करायें। उत्ता विरीक्षण १५ दिवस के अन्दर कराने वाले व्यवस्था करें।
3. आवृत्त उच्च शिक्षा, लापुदा भवन, गोपाल
4. कुलपती के साथेव / कुलसचिव के विज्ञी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बन्धित)